

तारीख
हुकम

मु.नं. 54/2023 प्राचीन पत्र स्थानांतरण
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जय
इनवान - जगदीश प्रसाद / मिथनलाल चौधरी

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

30-1-24

आधिकारिता प्राचीन उपस्थित आधिकारिता जगदीश
सं. 2 उपस्थित आधिकारिता जगदीश सं. 2
द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन
पीठाधीन अधिकारी श्री नीरज कुमार मीना का
स्थानांतरण हो चुका है इसलिए प्राचीन पत्र
स्थानांतरण को चलाये जाने का औचित्य
नहीं है

आधिकारिता प्राचीन द्वारा आधिकारिता जगदीश
सं. 2 के उक्त कथन से सहमत होना जाहिर
किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं
उपस्थित आधिकारितागत उपपत्रों के कथन पर
मनन किया गया। विचारणीय प्राचीन पत्र
स्थानांतरण श्री नीरज कुमार मीना पीठाधीन
अधिकारी - ग्रामालय उपखण्ड अधिकारी बोंडीकुंडे
के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जिनका स्थानांतरण
हो चुका है जिससे प्राचीन पत्र स्थानांतरण साक्षीन
होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने
योग्य है।

आतः याथालय उपखण्ड अधिकारी बोंडीकुंडे
में विचारणीय मु.नं. 113/23 दावा एवं मु.नं.
87/2023 प्राचीन पत्र सुस्वाई निषेधाज्ञा इनका
जगदीश प्रसाद बनाम मिथनलाल चौधरी का
कानून सहाय - ग्रामालय में स्थानांतरण करने हेतु
प्राचीन जगदीश प्रसाद पुत्र भागदा जाहिर माली
मिपारी बं राकड़ा से दानी नंदेरा तहसील बोंडीकुंडे
द्वारा इस - ग्रामालय में प्रस्तुत प्राचीन पत्र
स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निवेदन से
है कथनीय - याथालय उपखण्ड अधिकारी बोंडीकुंडे
के निजवाटिका पत्रावली के संलग्न शुमार की
तारीखों से कम है एवं बाढ़ प्रतीति के कारण
अथ गण्डार की जलानिधि आज दिनांक
30-1-2024 को भरे द्वारा जलानिधि ग्रामालय में
सुनाया गया।



(Handwritten signature in red ink)

नरेश बुनकर

अति. जिला कलक्टर
दौसा (राज.)